UPSI180016162024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-166/2024

उर्मिला देवी बनाम हरेश चन्द्र उर्फ हरिश्चन्द्र आदि।

वाद की प्रकृति	बैनामा मंसूखी व अस्थाई निषेधाज्ञा
वाद का मूल्यांकन	2634/-रुपये
अधिवक्ता का नाम	श्री देवेन्द्र प्रताप वर्मा
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	22.05.2024

यह वाद-पत्र वादिनी द्वारा वास्ते बैनामा मंसूखी व अस्थाई निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रताप वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्याय शुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज किया जाए। प्रतिवादीगण` को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादविन्दु दिनांक 08.07.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O Code-UP3555

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2

वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि भूमि गाटा सं०-754/0.266 हे०, गाटा सं०-289/0.126 हे०, गाटा सं०-885/0.228 हे०, गाटा सं०-1430/0.114 हे०, गाटा सं०-734/0.724 हे०, गाटा सं०-1138/0.306 हे०, गाटा सं०-1042/0.308 हे०, गाटा सं०-733/0.691 हे० कुल क्षेत्रफल 1.382 हे० स्थित ग्राम बजेहरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन छल-कपट कर वादिनी के पति के दिव्यांग अर्थात मूल-बधिर होने का फायदा उठाते हुए दान-पत्र लिखा लिया गया है जोकि विधि विरुद्ध है तथा न्यायहित में दौरान वाद प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि को डिक्री करने व कब्जा करने से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 8 ग 1 से एक किता खतौनी, एक किता विकलांग प्रमाण-पत्र वादिनी, एक किता पूर्व में प्रस्तुत दान-पत्र की छायाप्रति व एक किता दान-पत्र की प्रमाणित प्रति का०सं० क्रमशः 9 ग 1/1 लगायत 12 ग 1 प्रस्तुत की गयी हैं।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.05.22 17:06:09 IST
Reason: Document Owner
Location: civil judge JD mahmoodabad sitapur

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 08.07.2024 हेतु जारी हो। वादिनी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वाद विन्दु दिनांक 08.07.2024 को पेश हो।

दिनांकः-22.05.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O Code-UP3555